पुलिस उप निरीक्षक पेपर लीक प्रकरण के 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 मई को तय करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 1 मई को तय करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर द्वितीय ने आरोपी 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल की अवैध हिरासत मानते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे।

- **ज्ञात रहे कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर द्वितीय ने आरोपी 11 ट्रेनी एस.आई. और एक कांस्टेबल की अवैध हिरासत मानते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे**
- **राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने अदालत को बताया कि एस.ओ.जी. ने आरोपियों को 3 अप्रैल को गिरफ्तार कर 4 अप्रैल को अदालत में पेश किया था। ऐसे में नियमानुसार आरोपियों को गिरफ्तारी के 24 घंटे में ही पेश किया गया था।**

राज्य सरकार की ओर से याचिका में अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने अदालत को बताया कि एसओजी ने आरोपियों को 3 अप्रैल को गिरफ्तार कर 4 अप्रैल को अदालत में पेश किया था। ऐसे में नियमानुसार आरोपियों को गिरफ्तारी के 24 घंटे में ही पेश किया गया था। वहीं निचली अदालत ने 12 अप्रैल को आरोपियों की अवैध हिरासत मानते हुए उन्हें रिहा करने की आदेश दिए हैं। जबकि पूर्व में 4 अप्रैल को उसी अदालत ने समान आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया था। ऐसे में यदि उनकी अवैध हिरासत अवैध भी थी तो संबंधित मजिस्ट्रेट को पूर्व की सुनवाई के समय ही आरोपियों को रिहा करना चाहिए था। एक बार मजिस्ट्रेट की ओर से पुलिस अभिरक्षा के आदेश देने के बाद वह अवैध हिरासत नहीं कहलाएगी। इसलिए निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए।

जिसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रमित पारीक ने कहा कि आरोपियों के रिलीज ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं और निचली अदालत का आदेश विधि सम्मत है। इसलिए राज्य सरकार की याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की रिहाई पर रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर द्वितीय ने मामले में आरोपियों के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए माना था कि एसओजी ने आरोपियों को पकडने के बाद 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश नहीं किया था। ऐसे में उनकी पुलिस अभिरक्षा की अवधि अवैध थी। इसलिए उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। वहीं अदालत ने मामले के दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए गृह सचिव और डीजीपी को भी निर्देश दिए थे। इससे पूर्व सुनवाई को अदालत ने इन आरोपियों को पुलिस रिमांड पर एसओजी को सौंपा था।

डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले चारों ट्रेनी एस.आई. 5 दिन की रिमांड पर

एस.आई. भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक व डमी कैंडिडेट बैठाने का मामला

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले गिरफ्तार चारों ट्रेनी एसआई को सोमवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें कोर्ट ने पांच दिन की रिमांड पर भेज दिया है।

- **एसओजी ने अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले चार ट्रेनी एसआई को राजस्थान पुलिस अकादमी से गिरफ्तार किया।**
- **प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने परीक्षा में पास होने के लिए 15 से 20 लाख रुपए दिए थे।**

एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले चार ट्रेनी एसआई को रविवार देर शाम को राजस्थान पुलिस अकादमी से गिरफ्तार किया था। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि एसओजी की टीम ने आरोपी चार ट्रेनी एसआई को सोमवार को सेशन कोर्ट में पेश किया। एसओजी ने दस दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सभी को पांच दिन की रिमांड पर भेजा है। एसओजी को अब उनकी तलाश है जो इन चारों ट्रेनी की जगह परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बन बैठे थे।

एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि एसओजी की टीम ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले हरिओम पाटीदार निवासी गलियाकोट डूंगरपुर, विक्रम जीत बिश्नोई निवासी बज्जू बीकानेर हाल पार्श्वनाथ सिटी जोधपुर, श्रवण कुमार गोदारा निवासी बज्जू बीकानेर और श्याम प्रताप सिंह निवासी जोधपुर को रविवार देर शाम को राजस्थान पुलिस अकादमी से एसओजी मुख्यालय लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में चारों ट्रेनी एसआई ने डमी कैंडिडेट परीक्षा में बैठाना स्वीकार कर लिया है। इनमें प्रत्येक ने परीक्षा में पास होने के लिए 15 से 20 लाख रुपए दिए थे। इसमें डमी कैंडिडेट बैठाना और पेपर को खरीदना दोनों काम शामिल थे।

गौरतलब है कि चारों ट्रेनी एसआई ने अपने स्थान पर डमी अभ्यर्थी बैठा कर एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को पास किया था। एसओजी ने जो कुछ दिनों पहले डमी परीक्षा ली थी, उसमें यह चारों फेल हो गए थे। इस पर एसओजी को उनकी योग्यता पर शक हुआ। जब इनके दस्तावेजों और सेंटर की जांच की गई तो पता चला कि इन चारों ने डमी कैंडिडेट बैठा कर परीक्षा पास की थी। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी केस में अब तक 36 ट्रेनी एसआई और सात आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दैनन्दिनी भेंट

स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर राजस्थान विधानसभा द्वारा नववर्ष की डायरी भेंट की।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को यहां राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र और ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को राजस्थान विधानसभा दैनन्दिनी 2024-25 भेंट की। विधानसभा के इतिहास में पहली बार दैनन्दिनी का प्रकाशन भारतीय वर्ष के अनुसार राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहली बार दैनन्दिनी का प्रकाशन भारतीय वर्ष के अनुसार किया गया है। देवनानी ने बताया कि नवसंवत्सर 2081 के माह चैत्र शुक्ल, प्रतिपदा से दैनन्दिनी को आरम्भ किया गया है। इस बार दैनन्दिनी अप्रेल, 2024 से आरम्भ की गई है। हिंदी तिथि के साथ-साथ वर्तमान में प्रचलित अंग्रेजी तिथियों का भी समावेश किया गया है।

- **विधानसभा के इतिहास में पहली बार दैनन्दिनी का प्रकाशन भारतीय वर्ष के अनुसार, साथ ही प्रचलित अंग्रेजी तिथियां का भी समावेश**
- **स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा प्रकाशन में नवाचार हुआ**

राजस्थान विधानसभा कदाचित देश की ऐसी पहली विधानसभा बन गई है जहां भारतीय वर्ष के अनुसार दैनंदिनी का प्रकाशन किया गया है।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर विधान सभा के प्रकाशन दैनन्दिनी में नवाचार किये गये हैं। भारतीय वर्ष के अनुसार माह और तिथियों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। देवनानी ने बताया कि भारत वीर-वीरागनाओं और महापुरुषों का देश है। यहां ऐसे-ऐसे महापुरुष हुए है, जो भारत में ही नहीं अपितु विश्व में अपनी आध्यात्मिकता और विद्वत्ता की अमिट छाप छोड गये है। कोई तलवार के धनी तो कोई कलम के धनी तो कोई वाणी के धनी महापुरुष हुए है। उनके चिंतन से समाज को नई दिशा मिली है। नई पीढी को महापुरुषों को स्मरण में बनाये रखने के लिए विधान सभा की दैनन्दिनी में यह नया प्रयास किया है। इससे लोगों को उनके आदर्श जीवन से प्रेरणा मिल सकेगी।

अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि डायरी में भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, महर्षि दयानन्द सरस्वती, मीरा बाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानन्द, सुभाष चन्द बोस, महावीर स्वामी और चन्द्र शेखर आजाद के चित्रों का समावेश किया गया है। देवनानी ने बताया कि महापुरुष राष्ट्र के लिये प्रेरणा स्त्रोत होते है। समाज के लिये आदर्श होते है।

अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि इस बार डायरी को अधिक उपयोगी बनाया गया है। डायरी को उपयोगकर्ता आसानी से हाथ में ले जा सकता है। साथ ही एक दिवस के लिए एक पृष्ठ दिया गया है ताकि उपयोगकर्ता प्रतिदिन की अधिक से अधिक सूचनाओं को दर्ज कर सके।

'पहले मतदान फिर जलपान'

जयपुर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने युवाओं का आव्हान किया कि वह 19 एवं 26 अप्रेल को राजस्थान में होने वाले लोकसभा चुनाव में सबसे पहले मतदान करने जाये उसके बाद ही जलपान करें। युवा प्रवाह की ओर से जयपुर के बिडला सभागार में नवमतदाता अभिनन्दन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए शहजाद पूनावाला ने क्लिक्स, ब्रिक्स, टिक्स और फिक्स के बाद भारत ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ नवमतदाताओं से अबकी बार 400 पार के नारे लगवाने के साथ उन्होंने 2014 से 2024 के बीच भारत में हुए अभूतपूर्व विकास को सिलसिलेवार बताते हुए ना केवल युवाओं को प्रभावित किया बल्कि उनमें नये जोश का संचार भी किया।

उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में लोगों की भावना भी बदली है और धरातल की वास्तविकता भी बदली है। पूनावाला ने कहा कि घोंटालों, पेपरलीक, अत्याचार, अनाचार और अपराधों के साथ-साथ आतंकवाद से बाहर निकलकर अब विकसित भारत 5जी और 6जी की ओर बढ चुका है। जी20 की सफलता ने विश्व में भारत का डंका बजा दिया है। उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों मे भारत की अर्थव्यवस्था में तीव्रतम वृद्धि हुई है साथ ही विदेश नीति में भी भारत ने प्रगति की है।

खोया पाया

मेरे आवास 22/20/04, स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर के मूल दस्तावेज अदेय प्रमाण पत्र न.4852 दिनांक 24.09.2001 एवं आवंटन पत्र न.1697 दिनांक 09.07.1996 जो कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जारी थे, खो गए है कृपया मिलने पर सूचित करें उदाराम सहारण 9468874051

नाम परिवर्तन

मैने अपना नाम आदित्य सोनी से बदलकर आदित्य राघव सोनी रख लिया। भविष्य में मुझे नये नाम से जाना पहचाना जावे। पताः-102 कृष्णकृपा-2, सुभाष नगर, जयपुर।

मै गीता देवी ,पत्नी आर्मी नंबर-जे सी 287887एच, सूबेदार सुरेंद्र सिंह यूनिट 199 मीडियम रेजिमेंट, मेरे पति के सैन्य दस्तावेज में मेरा नाम गिता कुमारी है।जो गलत है।मेरा असली नाम गीता देवी है।

मै गीता देवी, पत्नी आर्मी नंबर जे-सी 287887एच, सूबेदार सुरेंद्र सिंह यूनिट 199 मीडियम रेजिमेंट, मेरे पति के सैन्य दस्तावेज़ में मेरी जन्म तिथि 28.01.1978 है। जो गलत है। मेरी असली जन्म तिथि 01.01.1982 है।

बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। महेश नगर पुलिस ने दो साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त दिगंत आनंद ने बताया कि आरपीएस पारसमल जैन के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने 2 साल से फरार 15 हजार रुपए के इनामी विशाल बोहरा पुत्र मदनराज बोहरा (42) मराठे मुम्बई हाल पृथ्वीराज रोड, पृथ्वीराज अपार्टमेंट सी-स्कीम से गिरफ्तार किया है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तीये की बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी बहन **श्रीमती श्यामा देवी** पत्नी स्व. श्री सुखदेवशरण जी झाडलीवाला का देहावसान 14.4.2024 को हो गया है जिनकी तीये की बैठक 16.4.2024 को दोपहर 4 से 4:45 बजे पताशे वालों की बगीची, मोती डुंगरी, रोड पर होगी तत्पशात मुख्य बैठक में सम्मिलित होगी।

शोकाकुलः कैलाशचन्द, शंकरलाल, स्व. रामबाबू (भाई), कमल, विमल, विनय, अंकित (भतीजे) समस्त छिगनी वाला परिवार।

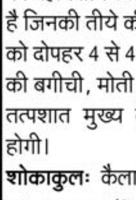

हमारी पूजनीया माताजी **श्रीमती श्यामा देवी** पत्नी स्व. श्री सुखदेवशरण जी का देहावसान 14.4.2024 को हो गया। तीये की बैठक 16.4.2024 को दोपहर 4 से 5 बजे पताशे वालों की बगीची, मोती डुंगरी, रोड पर होगी।

शोकाकुल- राजीव- मीनू (मनदीप), राजकुमार- हेमलता (पुत्र- पुत्रवधू), संजीव- अमिता (जेठुता- बहू), स्व. किशनशरण- किरण, माधुरीशरण- शशी (देवर -देवरानी), स्व. कैलाश बाई- स्व. हुकुमचन्द, कृष्णा- पुरषोतम, ललीता- भागचन्द (नन्द- नन्दोई), सरोज- लल्लूनारायण (बेटी- जंवाई), हिमिष, यशवी, पार्थ (पोते- पोती) समस्त झाडलीवाला परीवार।

फर्म-Konark Event & Wedding Planner

पीहरपक्षः कैलाशचन्द, शंकरलाल, स्व. रामबाबु छिगनीवाला

शुरुआत में खाचरियावास का आधे-अधूरे मन से मैदान में उतरना कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा साबित होगा

मंगलवार को सचिन पायलट उतरेंगे खाचरियावास के पक्ष में

जयपुर, (कासं)। पहले दौर के मतदान के लिए प्रचार अभियान दो दिन बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अब जयपुर शहर में भी प्रचार का जोर दिखने लगा है और अब तक जो कांग्रेस प्रचार में काफी पीछे नजर आ रही थी, उसने उन क्षेत्रों में फोकस किया है, जहां कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा हैं।

- **अब कांग्रेस प्रचार का फोकस सिर्फ परंपरागत वोट वाले क्षेत्रों में ही ज्यादा है**
- **शुरुआत में प्रचार में पिछड़ने के बाद पार्टी ने एक सप्ताह में आठों विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक रोड शो आयोजित कर उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया**

शुरुआती दौर में कांग्रेस का कहीं भी प्रचार नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जयपुर में कांग्रेस के झंडे बैनर लगे हुए रिक्शे माइक से प्रचार करते हुए भी दिख रहे है और एक दिन पहले ही जयपुर में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के एरिया में कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास के पक्ष में बड़ा रोड शो आयोजित हुआ। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंद्र सिंह रंधावा ने भी कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में रविवार को आदर्श नगर और सोमवार को विद्याधर नगर के बैनाड़ रोड पर आमसभाओं को संबोधित किया। वहीं मंगलवार 16 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट भी खो नागोरियान क्षेत्र में खाचरियावास के पक्ष में आम सभा को संबोधित करेंगे।

वैसे तो जयपुर में कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है और पूर्व मंत्री महेश जोशी के अलावा दोनों विधायक रफीक खान और अमीन कागजी सहित चुनाव हारे हुए उम्मीदवार डॉ. अर्चना शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, गंगा देवी और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आर.आर. तिवारी प्रचार अभियान में अपने-अपने क्षेत्र में जुटे हुए हैं। वही विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल के भाजपा में जाने के बाद अब कमान एक बार फिर विक्रम सिंह शेखावत ने संभाल ली है। अग्रवाल के जाने के बावजूद सोमवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा रोड शो आयोजित कर नाडी का फाटक एरिया में आम सभा का भी आयोजन कर कांग्रेस ने संदेश दिया कि अग्रवाल जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।

हालांकि कांग्रेस में उम्मीदवार बदलकर सुनील शर्मा के स्थान पर प्रताप सिंह खाचरियावास को घोषित करना और शुरुआती दौर में प्रताप सिंह का आधे अधूरे मन से चुनाव मैदान में उतरना कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा साबित होगा। हालांकि पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस ने धीरे-धीरे प्रचार में गति पकड़ी और अब लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में एक-एक रोड शो और हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम दो- दो कार्यकर्ता सम्मेलन के अलावा एक-एक बड़ी सभाएं की जा चुकी है।

जयपुर में कांग्रेस के लिए विद्याधर नगर, सांगानेर और बगरू जहां बड़ा खड्डा बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि आदर्श नगर, किशनपोल और हवा महल से वह अच्छे वोट हासिल कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा फोकस किए हुए हैं। वहीं विद्याधर नगर, सांगानेर और बगरू के उन क्षेत्रों पर फोकस है, जहां कांग्रेस का वोट बैंक है।

हालांकि प्रचार में अभी 2 दिन का समय बाकी है। ऐसे में कांग्रेस दो बड़ी सभाएं करके माहौल अपने पक्ष में करने के प्रयास में है, लेकिन जयपुर का परंपरागत वोट बैंक, जो कि भाजपा के पक्ष में नजर आता है, उसे तोड़ पाना कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं है।

कांग्रेस की शिकायत को विहिप ने बताया झूठ

जयपुर। शहर में लगी भगवा ध्वज-पताकाओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेंटी द्वारा विश्व हिंदू परिषद् के विरूद्ध चुनाव आयोग में दी गई शिकायत को विहिप ने झूठा करार दिया है। विश्व हिंदू परिषद् के क्षेत्रमंत्री सुरेश उपाध्याय ने राजनीतिक दल की शिकायत तथा भगवा ध्वज उतारने का विरोध करते हुए मीडिया के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि विश्व हिंदू परिषद् ने दलगत राजनीति अथवा किसी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए भगवा ध्वज नहीं लगाए हैं तथा यह शिकायत झूठी है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज हजारों वर्षों से नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाता रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राममय हुआ है। इसी उपलक्ष्य में हिंदू अपने प्रतिष्ठानों, बाजारों और घरों में भगवा ध्वज जो हजारों वर्षों से हिंदू समाज का प्रतीक है, लगाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और इस बार रामनवमी में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। उपाध्याय ने कहा कि विहिप क्षेत्र मंत्री के नाते मैं यह बताना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद् ने ये भगवा ध्वज नहीं लगाए हैं।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मकान नम्बर 6 च 4, जवाहर नगर, जयपुर का आवंटन पत्र क्रमांक 4998 दिनांक 27.12.1974, कब्जा पत्र क्रमांक 6747 दिनांक 07.03.1975, अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 1146 दिनांक 30.11.1990 एवं डिक्लेयरेशन दिनांक 28.05.1975 कही खो गया है, जिसके सम्बन्ध में एक ऑनलाईन पुलिस इनफोरमेशन रिपोर्ट एलआर 2089674/ 2024 दिनांक 23.02.2024 को दर्ज कराई गई थी। श्री भानूप्रकाश चेतवानी एवं श्री वासुदेव चेतवानी ने उक्त आवास को खरीदने हेतु भारतीय स्टेट बैंक आरएसीपीसी जयपुर में ऋण के लिये आवेदन किया है। यदि किसी को आपत्ति हो तो सात दिवस में संपर्क करे, बाद मियाद आपत्ति स्वीकार नही होगी। उक्त मकान के मालिक एवं विक्रेता श्री राजेन्द्र जैन पुत्र स्व. श्री पुरषोतमदास काला है।

(दीपक पारीक) अधिवक्ता, मो- 94142 38509
Email: deepakpareekadvocate@gmail.com

आम सूचना सर्व साधारण एवं श्रीमती रूपरेखा पत्नि स्व. श्री देवेन्द्र व्यास तथा देवांशी व्यास एवं देवांगी व्यास को सुचित किया जाता है, कि आपके दावा उनवानी रूपरेखा बनाम नन्दलाल मे वर्णित पते पर दिनांक 18.03.2024 तथा 02. 04.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर आपका रिहायशी लाईसेन्स नोटिस मे वर्णित समयावधि मकान नम्बर 111/235 की दूसरी मंजिल (फर्स्ट फ्लोर) का समाप्त किया जा चुका है। तथा दिनांक 02.04.2024 को आपको वॉट्स ऐप नम्बर 9929491875 पर भी आपको दिनांक 02.04.2024 का नोटिस भेजा गया है। दोनो नोटिस वापस आ गये है। इसलिए नोटिस में वर्णित समयावधि के बाद आपके खिलाफ सम्पत्ति खाली करने और मध्यवर्ती लाभ वसूल करने की कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर (फैजान हुसैन) एडवोकेट
दिनांक-14/4/24 मो.-8824515124

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य नीरज जैन प्रोपराईटर हरिहर ज्वैलर्स पता- 644, शांति नगर, दुर्गापुरा, जयपुर के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य की फर्म हरिहर ज्वैलर्स के फर्म के खाली लेटर पैड हस्ताक्षिरत एवं खाली हस्तलिखित पम्पलैट हस्ताक्षर किये हुए कहीं गुम हो गये है, जो कि जिस किसी भी सज्जन को मिले वह अविलम्ब मोबाईल नम्बर- 9829583534 पर सम्पर्क कर लौटा देवे। यदि कोई व्यक्ति उक्त गुमशुदा दस्तावेजात का दुरूपयोग करेगा उसके विरूद्ध मेरे अभिभाष्य द्वारा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सूचित रहें।

जयपुर (मुकेश वर्मा) एडवोकेट
दिनांक-15/4/24 मो.-9829583534

आम सूचना सर्व साथरण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती अनोख चौधरी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद चौधरी की शिक्षण संस्था, ब्राईट सेन्ट्रल एकेडमी समिति, सांगानेर जयपुर रजिस्ट्रेशन नम्बर 175/ जयपुर / 1989-90 है, प्लॉट नम्बर 25, 26 शिव नगर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर मे संचालित है। जिसमे मेरी अभिभाष्या सस्थापक, सदस्य एवं सचिव है। उक्त शिक्षण संस्थान मे अमित चौधरी व मोनी को स्कूल संचालन के लिए अधिकृत नही किया गया है और न ही उक्त शिक्षण संस्थान से उनका कोई लेना देना है। अगर अमित चौधरी व मोनी भ्रामक विज्ञापनो से किसी विधार्थी का एडमीशन उक्त शिक्षण संस्थान में करवाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उनके अभिभावको की होगी। भ्रामक विज्ञापनो के आधार पर अमित चौधरी व मोनी कोई गलत कार्यवाही कर संस्थान को कोई हानि कारित करता है, तो मेरी अभिभाष्या की उक्त शिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नही होगी, साथ ही अमित चौधरी व मोनी के विरूद्ध कानूनी करने के लिए अधिकृत होगी।

दिनांक-15/4/24 रामजीलाल चौधरी (एडवोकेट) मो.9829074741

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 87/2024

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री पृथ्वी सिंह कछावा पुत्र श्री रतन सिंह निवासी बी-02/04, चिनाब अपार्टमेण्ट, सैक्टर 28, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान 302033, ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री माधव प्रिया गौ सेवा समिति, 3/18, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020 के सम्बन्ध में अग्रिम जॉच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जॉच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियॉं, यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जाँच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 06.05.2024.

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर

'राजकोट प्रत्याशी रूपाला के बयान का पार्टी से मतलब नहीं, क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ'

विधायक आक्या, पूर्व विधायक भिंडर और जौहर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष ने दिया बयान

जयपुर, (कासं)। राजकोट प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के बयानों को लेकर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और पूर्व विधायक भिंडर और जौहर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष ने कहा कि "राजकोट प्रत्याशी रूपाला के बयान का पार्टी से मतलब नहीं है, क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ है। यह कांग्रेस की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह गुजरात और एक नेता का मामला है, इसे देश के अन्य प्रत्याशियों या पार्टी से जोड़ना गलत है।

- **सी.पी. जोशी सदैव राजपूत समाज के साथ खड़े रहे, पद्मिनी महल में गलत शिलालेख को हटवाया। महाराणा प्रताप, झाला मन्ना, जयमल पर डाक टिकट जारी करवाई : रणधीर सिंह भिंडर**
- **भाजपा ने राजपूत समाज को काफी कुछ दिया, पुरुषोत्तम रुपाला ने जो कहा वह गलत : आक्या**

वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने कहा कि चित्तौड़गढ़ प्रत्याशी सी.पी. जोशी एकमात्र ऐसे सांसद हैं, जिन्होंने रानी पद्मिनी का मामला संसद में उठाया था। महाराणा प्रताप, झाला मन्ना, जयमल पर डाक टिकट जारी करवाई थी। पद्मिनी महल में गलत शिलालेख को हटवाया। लाइट एंड साउंड में किए गए गलत वर्णन को हटवाया। जौहर स्थली पर शिलालेख लगवाया। सी.पी. जोशी ने समाज को काफी कुछ दिया है, सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लोग माहौल खराब कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज हमेशा से भाजपा के साथ ही रहा है।

उन्होंने कहा कि हमारे यहां किस तरह की स्थिति है, कौन कितना साथ दे रहा है, यह बाहर का व्यक्ति नहीं जान सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सम्मानीय है। वह क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके लिए लडाई लड़ते हैं। हमारा उनसे वैचारिक मतभेद नहीं है, लेकिन पार्टी के तौर पर हम इसे हम गलत बता रहे हैं। चुनाव करीब है, ऐसे में क्षत्रिय समाज को भड़काया जा रहा है। इस समाज में भाजपा समर्थित विचारधाराओं के लोग भी है और कांग्रेस विचारधाराओं के भी है। विपक्षी विचारधाराओं के लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जबकि पूरा क्षत्रिय समाज इसमें शामिल नहीं है। हमारा समाज भाजपा से जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ ही रहेगा।

राजकोट प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने जो भी टिप्पणी की है, वह बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके लिए पूरे पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकते। जिस पार्टी ने हमेशा क्षत्रिय समाज के लिए काम किया है, वह इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि छोटी सी बात के लिए पार्टी को बॉयकॉट कर दे। यह सब पूरा गुजरात का मामला है। वहां के क्षत्रिय समाज जो भी फैसला करेंगे, यह वहां की बातें है। उसका राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से लेना देना नहीं है। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि पुरुषोत्तम रुपाला ने जो भी कहा, वह बहुत ही गलत बात है। सिर्फ हमारे ही समाज में नहीं, किसी भी समाज के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।

राजपूत समाज में कुछ लोग जो पार्टी विशेष के साथ है, वह लोग ही भड़का रहे हैं। हम तो पार्टी के लिए ही काम करते आए हैं और अभी भी उनके साथ मिलकर चुनाव का काम कर रहे हैं। भाजपा ने राजपूत समाज को हमेशा काफी कुछ दिया है। पुरषोत्तम रूपाला के बयानों को पूरे देश, राजस्थान या चित्तौडग.से जोड़ना गलत है। जो लोग कांग्रेस से जुड़े हैं या उनके विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, वह सब करवा रहे हैं।

चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर, जौहर स्मृति संस्थान अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह विजयपुर, बी एन संस्थान एमडी मोहम्मद सिंह राठौड़, लोकसभा संयोजक रणजीत सिंह भाटी, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह ब्यावर (भदेसर), पूर्व प्रधान सुभाष सिंह राणावत, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण सिंह बडोली, कैलाश सिंह, रूप सिंह राणावत, हर्षवर्धन सिंह रुद, कर्नल सिंह कांकरवा, देवेंद्र सिंह राणावत, भूपेंद्र सिंह भाटी, कृष्ण पाल सिंह चुंडावत उपस्थित रहे।

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

क्रमांक-एफ-18()सि.ला.जो./2024/37 प्रारूप 5 नियम 6 (2) दिनांक-04/04/2024

अनापत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दिये गये व्यक्तियों द्वारा आयोजना शाखा द्वितीय में संधारित योजनाओं में साइट प्लान संशोधन/नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। इस साइट प्लान संशोधन/नाम हस्तान्तरण बावत कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन तिथि से 07 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	आवेदन स्थल का पता	आवेदित क्षेत्रफल
1	श्री अजीत सिंह शेखावत	स्व.श्री सवाई सिंह	06 पार्क व्यू कॉलोनी, हरि नगर, जयपुर	143.75 वर्गगज

उपायुक्त, सिविल लाईन जोन, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

कार्यालय नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा (कोटपुतली-बहरोड)

नवोदय स्कूल के पास पावटा-303106, राज. फोन.01421-294619

Nagarpalikapaotapragpura@gmail.com Website: www.Paotapragpura.com

क्रमांक : न.पा.पाव.प्रा./ 2023-24/भूमि/71 प्रारूप-10 (नियम 6 (7) दिनांक 15/04/2024

लोक सूचना

कृष्ण कुमार सैनी पुत्र श्री बंशीधर सैनी जाति माली व लक्ष्मीनारायण यादव पुत्र श्री जानकीलाल जाति अहीर निवासी कुनेड रोड, पावटा जिला-कोटपूतली बहरोड ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	प्रयोजनार्थ
पावटा-कोटपूतली-बहरोड	पावटा	3186/458, 3188/459	0.3276 है.	आवासीय

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थन दस्तावेजो के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय-समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जावेगा की किसी को आक्षेप नही है। और तदानुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर व मोहर के अधिन आज दिनांक.. को जारी की गई है।

प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा

कार्यालय नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा (कोटपुतली-बहरोड)

नवोदय स्कूल के पास पावटा-303106, राज. फोन.01421-294619

Nagarpalikapaotapragpura@gmail.com Website: www.Paotapragpura.com

क्रमांक : न.पा.पाव.प्रा./ 2023-24/भूमि/74 प्रारूप-10 (नियम 6 (7) दिनांक 15/04/2024

लोक सूचना

नरेश कुमार यादव पुत्र श्री हजारीलाल यादव जाति अहीर निवासी पावटा जिला-कोटपुतली बहरोड ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	प्रयोजनार्थ
पावटा-कोटपूतली-बहरोड	पावटा	3185/458	0.2500 है.	आवासीय

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थन दस्तावेजो के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय-समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जावेगा की किसी को आक्षेप नही है। और तदानुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर व मोहर के अधिन आज दिनांक 15/4/24 को जारी की गई है।

प्राधिकृत अधिकारी, नगरपालिका पावटा-प्रागपुरा